अध्याय - तीन

कार्यालयों का वैविध्य और राजभाषा प्रबन्धन की समस्यायें

विभिन्न प्रकार के कार्यालय

कार्यालयों के वैविध्य, उनके कार्यकलापों के वैविध्य, प्रत्येक कार्यालय की परिकल्पना और सृजन के उद्देश्य, कार्यालयों के कार्यक्षेत्र, अधिकार, कर्मचारियों की संख्या, नियुक्ति संबंधी नियम, अधिकार श्रेणी (hierarchy) मंत्रालयों के अधीन कार्यरत कार्यालय, बोर्ड, शोध-संस्थान आदि बातें सहज ही कही जाएँगी। इन सभी प्रकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के अनुसार राजभाषा नीति अपनाई गई है और उसका कार्यान्वयन चल रहा है। कार्यालयों के अपने-अपने स्वभाव, उद्देश्य, आकार-प्रकार में अंतर के अनुरूप हिन्दी कार्यान्वयन में भी अंतर दिखाई पड़ते हैं। यह स्थिति राजभाषा प्रबंधन में बाधक है। राजभाषा के प्रबंधन के संदर्भ में यह एक मामूली बात नहीं है।

सरकारी कार्यालय

सरकारी कार्यालयों में मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र दफ्तर और स्वतंत्र विभाग भी आते हैं। ऐसे कुछ सरकारी कार्यालयों तथा मंत्रालय विभागों की सूची नीचे दी जा रही है।

- ❖ स्वतंत्र दफ्तर

    - केन्द्रीय जांच अनुभाग
    - केन्द्रीय सूचना आयोग
    - केन्द्रीय सतर्कता आयोग
    - भारत के नियंत्रक - महालेखा परिक्षक
    - राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग
    - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
    - राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग
    - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
    - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
    - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
    - तेरहवाँ वित्त आयोग

- ❖ केन्द्र सरकार (मंत्रालय)

केन्द्र सरकार के 48 मंत्रालय हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार है -

- कृषि मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

- संस्कृति मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- विधि और न्याय मंत्रालय
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- पर्यवरण एवं वन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
- आवास और शहरी गरीबी उपशासन मंत्रालय
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
- सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
- खान मंत्रालय

- पंचायती राज मंत्रालय
- संसदीय कर्म मंत्रालय
- कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- विद्युत मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- पोर्त, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- वस्त्र मंत्रालय
- जनजातीय कार्य मंत्रालय
- जनसंसाधन मंत्रालय
- युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय आदि।

इन मंत्रालयों के अधीन कई विभाग, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, स्वशासित संस्थान, बोर्ड, आयोग, परिषद, सचिवालय तथा संयुक्त उपक्रम भी कार्यरत हैं।

सार्वजनिक उपक्रम

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीनस्थ होते हैं। केन्द्र सरकार के अधीन आनेवाले कुछ संयुक्त उपक्रमों की सूची नीचे दी जा रही है-

- दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
- सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड
- एस.बि.ऐ. जीवन बीमा निगम लिमिटेड
- मद्रास उर्वरक लिमिटेड

कुछ सार्वजनिक उपक्रमों का नियंत्रक राज्य सरकार है। इनके कुछ उदाहरण है -

- आन्ध्रप्रदेश प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रोत्साहन केन्द्र
- गुजरात नर्मदावाली फेर्टिलैज़ेर्ज़ कंपनी लिमिटेड
- सूचना प्रोद्योगिकी केन्द्र, चेन्नै
- सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड

कुछ उपक्रम ऐसे भी हैं जिन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती हैं जैसे-

- इंडियन मेडिकल फार्मस्यूटिकल कोरपोरेशन लिमिटेड

- नाशनल ईंस्टिट्यूट आफ स्मार्ट गवेणमेंट

- उत्तर-पूर्व वित्त विकास आयोग

- सिंगरेनी कोल्लेरीस कंपनी लिमिटेड

शोध संस्थान

सरकारी कार्यालयों के कार्यकलापों की तुलना में शोध संस्थानों के काम कुछ अलग से है। वहाँ का मुख्य काम जिस विषय पर शोध आवश्यक है उसीसे संबन्धित है।

शोध संस्थानों के अंतर्गत वैज्ञानिक निकाय, विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान संस्थान एवं प्रयोगशालाएँ आदि आ जाते हैं।

❖ वैज्ञानिक निकाय

- नारियल विकास बोर्ड

- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी

- विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद

- प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद

- विज्ञान केन्द्र
    - भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केन्द्र
    - कृषि विज्ञान केन्द्र
    - राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र
    - पूर्वी क्षेत्र जल प्रौद्योगिकी केन्द्र
- अनुसंधान संस्थान / प्रयोगशाला
    - अघारकर अनुसंधान संस्थान
    - भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
    - केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान
    - प्रगत संगणन विकास केन्द्र
    - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधन परिषद
    - अनुसंधान अधिकल्प और मानक संगठन
    - भौतिकी संस्थान
    - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
    - भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान
    - भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

- इंदिरागाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

- केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला

- केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला

- केन्द्रीय मात्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान

- केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी शोध संस्थान

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

- भारी पानी बोर्ड

इनके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय आदि भी हैं।

बैंक

सामान्य सरकारी कार्यालयों से भिन्न है बैंकिंग का क्षेत्र। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीनस्थ हैं। बैंकिंग क्षेत्र के कुछ उदाहरण -

❖ भारतीय स्टेट बैंक

- हैदराबाद स्टेट बैंक

- भारतीय स्टेट बैंक

- त्रावणकोर स्टेट बैंक

❖ राष्ट्रीयकृत बैंक

- इलाहाबाद बैंक

- आँध्रा बैंक

- बैंक आँफ बडौदा

- कैनरा बैंक

- युको बैंक

- विजया बैंक

इस प्रकार उन्नीस बैंक इसके अंतर्गत आ जाते है।

❖ सहकारी, कृषि संबन्धी और ग्रामीण बैंक

- बिहार स्टेट सहकारी बैंक लिमिटेड

- कृषि आसूत्रण और सूचना बैंक

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक आदि

इनके अलावा कई वित्तीय संस्थायें भी है जो बैंकिंग क्षेत्र में ही आ जाती है जैसे

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

- राजस्थान वित्त निगम

❖ बीमा कम्पनियाँ

  - कर्मचारी राज्य बीमा निगम

  - भारतीय साधारण बीमा निगम

  - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

  - भारतीय जीवन बीमा निगम

❖ प्रतिभूतियों और विनिमय

  - देशीय स्टोक विनिमय

  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

रिजर्व बैंक के अधीन के राष्ट्रीय बैंक से लेकर कैलिफोर्णिया तथा कैनडा में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें और विश्व बैंक तक भारत के बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है।

बोर्ड

बोर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक वह है जो मंत्रालय, सहकारी, शोध संस्थान आदि के अधीन आ जाते हैं जैसे कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड,

स्पाईसेस बोर्ड, चाय बोर्ड, टुबाको बोर्ड (सब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (सहकारी), नारियल विकास बोर्ड (शोध संस्थान) आदि। दूसरे वह है जो शैक्षणिक संस्थानों को सूचित करता है। जैसे

- राष्ट्रीय परीक्षा भवन
- नवोदया विद्यालय समिति
- प्रौद्योगिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन

इनके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय जैसे कई परिषद, आयोग और निदेशालय आदि भी हैं।

सहकारी

इसमें भी केन्द्र तथा राज्य-दोनों प्रकार के कार्यालय आ जाते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है -

❖ केन्द्र सहकारी

- कृषक भारती सहकारी
- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित

- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

❖ राज्य सहकारी

- मध्यप्रदेश राज्य सरकारी आवास संघ मर्यादित

- महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित

- उत्तरप्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड

- गिरिजन सहकारी निगम

- जयपूर डेरी आदि

इनके अलावा विभिन्न राज्यों में स्थित सहकारी विभाग तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आदि भी सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं।

भारत जैसे विशाल देश में इस तरह के असंख्य कार्यालयों का होना, जैसे कहा जा चुका है, सहज और स्वाभाविक है। पूरी सूची नहीं दी गई है। कुछ उदाहरण मात्र दिए गये हैं। सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के हेतु हिंदी अनुभाग कार्यरत है। कही कहीं हिन्दी अनुभाग नहीं भी है। इन कार्यालयों में हिंदी संबंधित काम समान नहीं है।

राजभाषा कार्यान्वयन के सन्दर्भ में संस्थाओं में समानता का अभाव

प्रशासनिक स्तर के काम को छोडकर भारत सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में कोई समानता नहीं है। एक बॉर्ड और शोध संस्थान में, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और सरकारी कार्यालय में बड़ा भारी अंतर है। उनके अपने-अपने कार्य क्षेत्र होते हैं। लेकिन राजभाषा के मामले में कार्यालय के स्वभाव के अनुरूप असमान होना हानिकारक है।

केन्द्र सरकार के मंत्रालय, संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, स्वतंत्र विभागों आदि में कार्यान्वयन मुख्य रूप से राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3 (3) के अंतर्गत आनेवाले दस्तावेज़ों के अनुवाद के रूप में हो रहे है। इसप्रकार केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा निकाले जानेवाले सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनायों, प्रशासनिक या अन्य प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र आदि द्विभाषिक रूप से तैयार किए जाते हैं। साथ ही पत्र-व्यवहार में मूल लेखन ही हिन्दी में करने का प्रयास भी हो रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दे रहे है। वार्षिक रिपोर्ट, गज़ट में दी जा रही सूचनायें, संसदीय प्रश्नों का उत्तर आदि भी द्विभाषिक रूप से तैयार किये जाते हैं। इनके अलावा मंत्रालय विशिष्ट विषय संबन्धी तकनीकी पुस्तक भी मूल रूप से हिन्दी में लिखने के लिए पुरस्कार योजना का

प्रावधान भी है। अतः सरकारी कार्यालय तथा मंत्रालयों में राजभाषा कार्यान्वयन का क्षेत्र मुख्य रूप से प्रशासनिक है।

राजभाषा कार्यान्वयन का प्रशासन तक सीमित होना और अनुवाद की समस्याओं में सिमट पाना प्रीतिपद नहीं है।

सार्वजनिक उपक्रमों में भी राजभाषा का कार्यान्वयन प्रशासन तक ही सीमित है। उदाहरण के तौर पर एच.एम.टी जैसे सार्वजनिक उपक्रम में आज मशीन टूलों के निर्माण के साथ-साथ किसानों के लिए ट्रैक्टर का उत्पादन हो रहा है। आम जनता के लिए घाड़ियाँ, बल्ब, छपाई की मशीनें इत्यादि के उत्पादन भी हो रहे हैं। उत्पादित मालों को जनता तक पहूँचाने के लिए जनता की भाषा अपनाना अधिक संगत है। तभी राजभाषा कार्यान्वयन का क्षेत्र अधिक विस्तृत बन सकता है। उत्पादन के साथ-साथ समान महत्व रखनेवाला तत्व है विपणन। कंपनी द्वारा उत्पादित विभिन्न मालों के संबन्ध में विवरण, कीमत सूची तथा विवरणिका, कार्य-संचालन मैनुअल एवं पुस्तिकाएँ आदि हिन्दी में छपवा जाना उन उत्पाद्यों के साधारण उपभोक्ताओं के लिए अधिक सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ उत्पादित मालों पर कंपनी का नाम एवं अन्य विवरण द्विभाषी रूप से दिए जा सकते हैं। विपणन की मांग बढाने में विज्ञापन का बहुत बडा हाथ है। लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों के उत्पाद्यों के विपणन के लिए राजभाषा हिन्दी का कहाँ तक उपयोग हो रहा है, इस में संदेह है।

सार्वजनिक उपक्रमों के समान बैंक भी एक ऐसा सरकारी विभाग है जिसका सीधा संपर्क बडे पैमाने पर जनसाधारण से है। इसलिए यह स्वभाविक ही था कि बैंकों का कार्य जनसाधारण की भाषा में हो। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3.3 के अनुसार बैंकों द्वारा जारी किए जानेवाले विभिन्न कार्य, करार, रसीदें, रजिस्टर, लेज़र आदि से लेकर सभी दस्तावेज़ें को द्विभाषिक रूप में तैयार करना होता है। इसके अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामान्य आदेशों, नियमों, संकल्पों, अधिसूचनाओं, करारों, अनुज्ञा-पत्रों, निविदा फार्मों सभी द्विभाषिक रूप से तैयार करना पडता है। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के अधीन हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा बैंकों के आंतरिक कामकाज में भी हिन्दी का प्रयोग करने के कई निर्णय लिये गए हैं। इसके अनुसार चेक / ड्राफ्ट जारी करने में, पास बुक, रजिस्टरों / बहियों, पियन पुक आदि में प्रविष्ट करने में भी हिन्दी का प्रयोग करने का निर्णय कुछ शर्तों के आधार पर लिया गया है। साथ ही तृतीय / चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की फाइलों / सेवा पंजिका में तथा अन्य फाइलों में प्रविष्ट करने के साथ-साथ फाइल पर शीर्षक / विषय, छुट्टी का आवेदन जैसे आवेदन पत्रों का भरना, टिप्पणियों लिखना, लिफाफों पर पता लिखना, विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों आदि की कार्यसूची, कार्यविवरण, रिपोर्ट आदि तैयार करना, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र आदि में भी

अंग्रेज़ी के साथ राजभाषा हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। अतः ऐसा ही प्रतीत होगा कि बैंकों में राजभाषा का सही मात्रा में कार्यान्वयन चल रहा है। लेकिन बैंक का पूरा वातावरण अंग्रेज़ियत से भरा है। इसका प्रमुख कारण है कि राजभाषा का कागज़ी होना। प्रशासन के एक अनुभाग की तरह हिंदी अनुभाग तो कार्यरत है। लकिन बैंकिंक नीतियों में उनके व्यवहार में राजभाषा का प्रवेश अभी नहीं हुआ है।

अन्य कार्यालयों की तुलना में शोध संस्थानों में राजभाषा कार्यान्वयन साधारण कार्यालयी पत्र व्यवहार, अनुवाद आदि से मुक्त होकर अलग रास्ते अपनाए हुए हैं। केवल प्रशासनिक स्तर के कार्यों तक सीमित न करके हिन्दी का शोध संबन्धी विषयों में भी प्रयोग कराना राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई सजगता का मापदंड है। शोध के गंभीर विषयों को हिन्दी में प्रस्तुत करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पडती है। अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना है। शोध संबन्धी कार्यों के प्रपत्र तैयार करने में हिन्दी में मौलिक लेखन की शुरुआत करने में राजभाषा की भूमिका अहम होती जा रही है। प्रत्येक विषय पर कोश ग्रन्थ उपलब्ध कराना, उच्च अधिकारी एवं अन्य वैज्ञानिकों को पारिभाषिक शब्दावली से परिचित कराना आदि से शोध संस्थान इस दिशा में काफी आगे है।

आज हम यह देख रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रम और एक सामान्य कार्यालय में पर्याप्त अंतर है। राजभाषा के कार्यान्वयन पर

इसका असर अधिक पड़ता है। पहले के यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन उत्सवधर्मी है तो दूसरे के यहाँ नाम मात्र के लिए है। राजभाषा की नीति संवैधानिक है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कार्यालयों की विविधता सबसे पहले राजभाषा पर कुल्हाडी मारती है। इसमें एकरूपता लाने को लेकर राजभाषा से संबंधित कोई भी समिति गंभीर नहीं है। इसलिए राजभाषा कार्यान्वयन अनजाने ढंग से चलता है। राजभाषा प्रबंधन की दृष्टि से देखें तो कार्यालयों का वैविध्य सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। अतः राजभाषा कार्यान्वयन में समानता की आवश्यकता है चाहे वह बडा उपक्रम हो या छोटा कार्यालय।

राजभाषा कार्यान्वयन और बजट प्रावधान में असमानता

राजभाषा कार्यक्रमों को समुचित ढंग से संचालित करने के लिए प्रत्येक संगठन में राजभाषा बजट का प्रावधान किया जाना अनिवार्य है। राजभाषा कार्यकलापों की अनिवार्यता तथा संगठन की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट प्रावधान तो किया जाना चाहिए।

कुल बजट का आबंटन करते समय सिर्फ यह देखा जाना चाहिए कि राजभाषा कार्यान्वयन को नगण्य न समझा जाए और न अनदेखा किया जाए। यहाँ भी कोई स्वीकृत मापदंड नहीं है। बजट के अंतर्गत विचार किये जाने योग्य क्षेत्र हैं

- प्रशिक्षण
- प्रसार कार्यक्रम
- उच्च अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा उसकेलिए यात्रा-व्यय
- प्रकाशन
- भाषा विनिमय के लिए प्रयोगशाला
- संगठनात्मक संप्रेषण पर विचार विमर्श
- कंप्यूटीकरण
- सोफ्टवेयर की उपयोग की अनिवार्यता

संप्रति सभी कार्यालय राजभाषा कार्यशालाएँ चलाते हैं और उसके लाभ तो होते ही हैं। राजभाषा प्रबंधन की दृष्टि से देखते समय इन कार्यशालाओं का कोई वांछित लाभ नहीं है। अतः प्रशिक्षण के रंग-ढंग को परिवर्तित करने का समय आ गया है। जब तक उसके लिए आवश्यक बजट प्रावधान नहीं है तो प्रशिक्षण के बारे में सोचना फिसूल है। अब की असमानता के कारण सब से अधिक नगण्य समझा जाने वाला कार्यक्रम राजभाषा कार्यान्वयन का है। इसमें परिवर्तन अनिवार्य है। उपरोक्त सूचित सभी कार्यकलापों के लिए सभी कार्यालयों में बजट का पर्याप्त प्रावधान होनी चाहिए। बजट में कसौटी सिर्फ

कर्मचारियों की संख्या के कारण है। पचास सदस्यों वाले एक कार्यालय में और हज़ार सदस्योंवाले कार्यालय में अंतर है। बजट की राशी घटती-बढ़ती रह सकती है। लेकिन सभी कार्यकलापों के लिए बजट प्रावधान अनिवार्य है।

बैंकों के वेबसाइट

कंप्यूटीकरण को उदाहरण के रूप में लें तो पता चलेगा बहुत कम कार्यालयों ही उसकी वास्तविक सुविधा का लाभ उठाया गया है। यदि समानता हो तो इस तरह की भिन्नता नहीं हो सकती है।

क्रम सं	बैंक का नाम	वेब साइट	वेब साईट में राजभाषा हिन्दी का विशेष प्रयोग
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक	द्विभाषिक	ऑन लाइन बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेज़ी-हिन्दी)
2.	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर	द्विभाषिक	-
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	”	-
4.	भारतीय स्टेट बैंक	”	-
5.	स्टेट बैंक ऑफ इंदोर	”	-
6.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर	”	-

क्रम सं	बैंक का नाम	वेब साइट	वेब साईट में राजभाषा हिन्दी का विशेष प्रयोग
7.	इलाहाबाद बैंक	"	-
8.	आंध्रा बैंक	"	-
9.	बैंक ऑफ बडौदा	"	-
10.	कनेरा बैंक	"	-
11.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	"	साईट के मुख पृष्ठ में ही राजभाषा विभाग के अलग एक पृष्ठ का लिंक दिया गया है
12.	कोर्पोरेशन बैंक	"	हिन्दी साईट में राजभाषा संबन्धी समाचारों को न्यूज़ फ्लैश (News flash) के रूप में दिया गया है
13.	देना बैंक	"	-
14.	इंडियन बैंक	"	-
15.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	"	-
16.	पंजाब एण्ड सिंघ बैंक	द्विभाषिक	-
17.	पंजाब नैशनल बैंक	"	-
18.	सिंडिकेट बैंक	"	-

क्रम सं	बैंक का नाम	वेब साइट	वेब साईट में राजभाषा हिन्दी का विशेष प्रयोग
19.	यूको बैंक	"	-
20.	यूनाइटेट बैंक ऑफ इंडिया	"	हिन्दी साइट में हिन्दी में उपलब्ध बैंकिंग साहित्य का लिंक दिया गया है।
21.	विजया बैंक	"	-
22.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	"	-
23.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	"	-
24.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	"	-
25.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	"	-
26.	पावर फाइनेंस कॉर्परेशन लिमिटेड	"	मुख पृष्ट में ही राजभाषा का लिंक देने के साथ-साथ राजभाषा कार्य-विधियाँ भी साईट में उपलब्ध कराया है।

क्रम सं	बैंक का नाम	वेब साइट	वेब साईट में राजभाषा हिन्दी का विशेष प्रयोग
27.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	"	-
28.	भारतीय जीवन बीमा निगम	"	-
29.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड	"	-
30.	विश्व बैंक	"	-

यह सूची अधूरी है। और भी कई वित्तीय संस्थायें हैं जिन्होंने अपने वेबसाइट को द्विभाषिक बना दिया है। इससे पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन के विशेष महत्व को समझकर इसके लिए बड़ी राशी लगा रही है।

बैंकों की तुलना में बॉर्डों, शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति कुछ अलग है। नीचे दी गई सूची देखिए-

बॉर्डों का वेबसाइट

क्रम.सं	नाम	वेबसाइट	वेब साइट में राजभाषा हिन्दी का विशेष प्रयोग
1.	नवोदया विद्यालय समिति	द्विभाषिक	-
2.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग	”	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबन्धी पारिभाषिक शब्दावली (हिन्दी) उपलब्ध है
3.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	”	राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन ही उद्देश्य है

शैक्षणिक संस्थानों तथा बॉर्डों में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन प्रशासनिक तथा किसी हद तक अकादमिक कार्यों तक सीमित है। बजट प्रावधान की अपर्याप्तता इसका एक कारण है।

बॉर्ड के समान सरकारी उपक्रमों में भी वेबसाइटों में हिन्दी की प्रविष्टि इने-गिने संगठनों के वेबसाइटों में हुई है। इसकी तुलना में शोध संस्थानों की स्थिति अच्छी है।

द्विभाषिक वेबसाइटवाली शोध संस्थायें

1. नारियल विकास बोर्ड
2. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी

3. प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद्
4. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केन्द्र
5. भाषा, परमाणु अनुसंधान केन्द्र
6. केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान
7. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान
8. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला
9. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
10. भारी पानी बोर्ड
11. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन
12. इंदिरागाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र
13. जवहरलाल नेहरू उन्नत अनुसंधान केन्द्र
14. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी
15. अनुसंधान अधिकल्प और मानक संगठन
16. सत्येन्द्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केन्द्र
17. परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र
18. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण आदि।

लगभग सारे मंत्रालयों के वेबसाइटों का हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है। पर्यवरण एवं वन मंत्रालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, खान मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आदि ने अपने राजभाषा कार्यान्वयन संबन्धी कार्यकलापों का विवरण भी वेबसाइट में डाला है। लेकिन वह द्विभाषिक रूप में डाला होता तो ज्यादा उचित लगता।

अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण राजभाषा कार्यान्वयन, बिना बन्दूक का सिपाही (लाठी पुलिस) का जैसा है। वित्तोपार्जन के समान वित्त का समुचित विनियोग भी राजभाषा का सफल कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य तत्व है।

राजभाषा के प्रयोग को सुगम बनाने, हिन्दी की जानकारी बढ़ाने हेतु हिंदी पुस्तकें खरीदने की योजना बनाई गई है। लेकिन पुस्तक खरीद के विवरण को देखें तो पता चलेगा यहाँ की असमानता अधिक प्रकट है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है-

क्रम. सं.	कार्यालय	बजट वर्ष	हिन्दी पुस्तकों पर व्यय का प्रतिशत
1.	नैशनल इनफॉमाटिक सेंटर, लोघी रोड, नई दिल्ली	2001-02	0.4%
2.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली	2002-03	0%
3.	राष्ट्रीय जन सहयोग & बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	2002-0	18%

क्रम. सं.	कार्यालय	बजट वर्ष	हिन्दी पुस्तकों पर व्यय का प्रतिशत
4.	केन्द्रीय अगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर	2002-03	11%
5.	भारतीय फिल्म दूरदर्शन संस्थान, पूणे	2002-03	8%
6.	भारतीय रेल लोकनिर्माण संस्थान, पूणे	2002-03	0.6%
7.	भारतीय रसायनी प्रयोगसाला, पूणै	2002-03	1.18%
8.	मुख्य इंजिनियर & प्रशासनिक के कार्यालय, आंदमान, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेर	2003-04	37%
9.	मरैन इंजिनीयरिंग तथा शोध संस्थान, कोलकत्ता	2003-04	40%

इस सूची से पता चलता है कि केवल शोध तथा वैज्ञानिक संस्थान ही नहीं, शैक्षणिक संस्थान भी राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।

संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली में हर कार्यालय से साधन-संपन्न होने को लेकर प्रश्न शामिल किये गए है। इसलिए समिति के आगमन के बाद कुछ सामग्रियाँ खरीदी जाती हैं। इसमें कोई प्रबंधकीय क्षमता नही है। प्रत्येक कार्यालय के पास राजभाषा के समुचित प्रयोग के लिए अपनी कार्यविधि होनी चाहिए। वह कार्यविधि सिर्फ राजभाषा अधिकारी की अकल की उपज नही होनी चाहिए। वह एक सहभागी नीति के तहत होना उपेक्षित है। उसके अनुसार बजट में तब्दीली भी आवश्यक है।

प्रबंधकीय दृष्टि से विश्लेषण करते समय यह कहना पड रहा है कि जिस कार्य को अगंभीर समझा जाएगा उसका वांछित लक्ष्य तक पहुँचना कठिन है। जो कार्य व्यक्ति के माध्यम कराए जाने की पद्धति जब अपनायी जाती है वह दीर्घ जीवी नहीं होती जबकि सहभागी तौर पर परिकल्पित पद्धतियाँ दीर्घजीवी होती हैं। राजभाषा कार्यान्वय को दीर्घजीवी होना है तो उसे गंभीर होना है और सहभागी तौर पर पुष्ट करना है।